सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

दो माह के भीतर भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के गठन का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के एक किसान की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की युगलपीठ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर छत्तीसगढ़ में दो महीने के भीतर भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के गठन का आदेश जारी किया है। युगलपीठ ने यह भी चेतावनी दी है कि तय समयावधि में प्राधिकरण का गठन न किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

युगलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि तय कर दी है। तब तक राज्य सरकार को जारी डेडलाइन भी पूरी हो जाएगी। लिहाजा राज्य सरकार को सुनवाई के दौरान अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले किसान ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। तब किसान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के किसान बाबूलाल ने अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के गठन की मांग की है। याचिकाकर्ता किसान ने अपनी याचिका में बताया है कि प्राधिकरण का गठन न होने से किसानों को भूअर्जन सहित अन्य प्रक्रियाओं और दावों के लिए भटकना पड़ता है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की युगलपीठ में हुई। प्रकरण की गंभीरता और किसानों की हितों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो महीने के भीतर प्राधिकरण का गठन करने के निर्देश दिए हैं। तय समयावधि में गठन न होने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य शासन की ओर से पैरवरी कर रहे विधि अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। गठन प्रक्रियाधीन है। विधि अधिकारी के जवाब के बाद जब डिवीजन बेंच ने प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया के संबंध में दस्तावेज देखे तब पता चला कि यह तो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है।